न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील /टीए/4694/03/झालावाड

रामनाथ पुत्र राम किशन मृतक जरिये कायम मुकामः–
1/1–रामस्वरुप पुत्र रामनाथ
1/2– दाखा बेवा स्व. श्री रामनाथ
2–रामगोपाल पुत्र रामनाथ समस्त जाति सोनी महाजन निवासीयान सारोलाकला तहसील खानपुर जिला झालावाड

–––अपीलांट्स

बनाम

1– जुम्मा
2– मोबीन पिसरान मौहम्मद जान जाति मुसलमान निवासीयान भरतपुर कोडमा तहसील खानपुर
3–जगदीश पुत्र मथुरालाल जाति कलाल निवासी सारोलाकला तहसील खानपुरजिला झालावाड
4– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खानपुर ––रैस्पोडेंट

खण्डपीठ
श्री महावीर सिंह,सदस्य
श्री मनोज कुमार नाग,सदस्य

उपस्थितः–
श्री मुकेन जैन , अभिभाषक अपीलांट
श्री अशोक अग्रवाल अभिभाषक रैस्पोडेंट

निर्णय **दिनांकः**

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.8.2003 जो अपील संख्या 189/2002 में पारित किया गया है, के विरुद्व प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्यों अनुसार अपीलांट/वादी ने एक वाद संख्या 1701/98 अन्तर्गत धारा 188–92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम शीर्षक रामनाथ बनाम जुम्मा आदि उपखण्ड अधिकारी अकलेरा के समक्ष इस आशय का पेश किया कि ग्राम सारोलकला तहसील खानपुर के माल में खसरा नम्बर 678 की 05–00–00 आराजी मौहम्मद जान पुत्र यासीन खॉ के खाते में थी, उसके मरने के बाद उक्त आराजी प्रतिवादी/रेस्पेडेंट 1 से 2 के खाते में दर्ज हो गयी। बाद सैटलमेंट उक्त खसरा नम्बर के नवीन खसरा नंबर 718 कायम किये गये। उक्त आराजी को खातेदार मौहम्मद जान ने अपीलांट के पिता रामकिशन को दिनांक 19–2–53 को 60/–में बेचान कर दी और मौहम्म जान ने उक्त राशि अदा कर एक तहरीर बेचान की क्रमकर्ता के पक्ष में खिलावा कर अपनी निशानी अंगूठा लगा कर गवाही गवाहन करवा दी और कब्जा संभला दिया

जिससे कानूनन उनके खातेदारी अधिकार भी समाप्त हो गए है। रेस्पोडेंट संख्या 3 जगदीश के द्वारा जब अपीलांट/वादी के कब्जे में मजाहमत पैदा करने की कोशिश की गई तब अपीलांट वादी ने वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया। वाद दर्ज किया जाकर रेस्पोडेंट संख्या 1 से 2 ने अपना जबाव दावा पेश किया एवं भरतपुर में रहना स्वीकार किया किन्तु बेचान की तहरीर के सम्बन्ध में इन्कार किया। जबाव दावा पेश होने पर दावे में कुल 7 तनकियॉ कायम की गयी। विद्वान अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22–7–02 के द्वारा सभी तनकियात पर विवेचन करते हुए वादी का वाद डिक्री कर दिया और प्रतिवादी/रेस्पेडेंट को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। जिससे असन्तुष्ट होकर प्रतिवादी रेस्पेडेंट 1 से 2 ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की जिन्होने अपील स्वीकार कर अपने निर्णय दिनांक 22–8–03 के द्वारा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया। जिसके विरुद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

3– दोनो पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील पर सुनी गयी।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों के कथनो को दोहराते हुए तर्क दिया कि विवादित आराजी वादी/अपीलांट की क्रयशुदा आराजी है जिस पर वह तत्समय से ही काबिज काश्त है जिसकी पुष्टि में पर्याप्त साक्ष्य व दस्तावेजी सबूत वादी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दिये गये थे जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने सभी दस्तावेजी साक्ष्य व सबूतों एवं गवाहों के बयानात के आधार पर वादी/अपीलांट का वाद डिक्री किया था जिसको निरस्त करने में विद्वान अपील अधिकारी ने कानूनी त्रुटि की है।उनका आगे तर्क है कि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय द्वारा निर्मित की गयी तनकियों पर निर्णय पारित नही किया है। उनका यह भी तर्क है कि वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत तहरीर दस्तावेज 30वर्ष पुराना होने से एवीडेंस एक्ट के तहत एडमिसेबिल इन एवीडेंस है जिसकी सत्यता पर सन्देह नही किया जा सकता है। लेकिन विद्वान अपीलीय न्यायालय ने उक्त तहरीर को विश्वसनीय नही मानने में कानूनी त्रुटि की है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट का आगे तर्क है कि विद्वान अपीलीय न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 31 की अपने निर्णय में पालना नही की है। अन्त में अपील स्वीकार कर न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पेदन राजस्व अपील अधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 22–8–03 को निरस्त कर उपखण्ड अधिकारी अकलेरा के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–7–2002 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

5– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने बताया कि अपीलांट/वादी ने परीक्षण न्यायालय में वादग्रस्त आराजी बावत दावा पेश किया था जो परीक्षण न्यायालय ने अपीलांट/वादी का दावा डिक्री कर दिया। जबकि वाद ग्रस्त आराजी पर हमारा कब्जा है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रदर्श पी–1 सिद्ध नही है क्योकि इसके कोई गवाह

प्रस्तुत नही हुए है। चूँकि वादी का दावा अधीनयिम की धारा 188 के तहत था किन्तु इनका विवादित आराजी पर कब्जा नही है। जिससे इनका दावा चलने योग्य नही था। जहॉ तक तहरीर का प्रश्न है यह कोई पंजीकृत दस्तावेज नही है और इस पर विश्वास करके परीक्षण न्यायालय ने दावा डिक्री कर कानूनी त्रुटि की है। वास्तव में हमारे पिता ने किसी प्रकार की कोई तहरीर वादी के पक्ष में नही लिखी थी केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर दावा डिक्री किया गया है जो पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत है फिर भी परीक्षण न्यायालय ने दावा डिक्री कर कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रथम अपील विद्वान अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर उनके द्वारा दावा को को खारिज कर दिया लेकिन प्रकरण परीक्षण न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रेषित कर दिया जो गलत है क्योकि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अपील में पर्याप्त शहादत, रिकार्ड एवं वास्तविक पत्रावली पर मौजूद थे। ऐसी सूरत में अपीलीय न्यायालय को अपील को अपने स्तर से ही अन्तिम रुप से निस्तारण करना चाहिए था , जो नही किया गया है। अन्त में दोनो अधीनस्थ न्यायालयों पारित निर्णयों को निरस्त कर रेस्पोडेंट के पक्ष में निर्णय पारित करने का निवेदन किया गया।

6— विद्वान अभिभाषकगण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 22—8—03 का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अनुसार विवादित आराजी प्रदर्श—3 में जुम्मा,गोबीन पिसरान मोहम्मदजान व नूरो बाई बेवा मोहम्मद जान के खाते में अंकित है। इस प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है विवादित आराजी रेस्पोडेंट के नाम दर्ज चली आ रही है। रेस्पोडेंट ने प्रदर्श पी—1 को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य पेश नही की है और न ही प्रदर्श पी—1 के द्वारा रेस्पोडेंट का कब्जा विवादित आराजी पर सन 1953 से हो जाने के कारण इस संबंध में कोई साक्ष्य पेश की है। साक्ष्य पी डब्ल्यू—2 दस्तावेज प्रदर्श पी—1 को स्वयं के सामने लिखे जाने या रेस्पोडेंट के पिता का अंगूठा स्वयं के सामने किया जाना अपने बयान में व्यक्त किया है। साक्ष्य पीडब्ल्यू —3 भी प्रदर्श पी—1 को न तो अपने सामने लिखा जाना बताया है और न ही अपने सामने रेस्पोडेंट के पिता द्वारा अंगूठा किया जाना ही बताया है। इस प्रकार दस्तावेजी पी—1 असिद्ध दस्तावेज है जिसके आधार पर रेसपेाडेंट को खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते। इसके विपरीत अपीलांट ने भी वादग्रस्त भूमि पर स्वयं के कब्जे के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य पेश नही की है और न ही अधिनियम की धारा 183 का काउंटर क्लेम परीक्षण न्यायालय में पेश किया था । स्पष्ट है कि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय में दोनो पक्षों की ओर से ही दावे से संबधित समुचित दस्तावेज साक्ष्य आदि प्रस्तुत नही की गयी है। ऐसी स्थिति में विद्वान अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण अधिनस्थ परीक्षण न्यायालय को इस आधार पर प्रति प्रेषित किया है कि

प्रकरण में पक्षकारान की पर्याप्त साक्ष्य लेकर प्रकरण में पुनः निर्णय पारित करें, कानून सम्मत है। उक्त निर्णय में हम अपील के माध्यम से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही समझते है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट की ओर से अपनी अपील मीमों के जरिये जो तथ्य उठाये है, उचित नही है। परिणामस्वरुप हस्तगत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

7— अतः उपरोक्त विवेचनके प्रकाश में यह द्वितीय अपील खारिज की जाकर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22—8—2003 यथावत जाता है

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(महावीर सिंह)
सदस्य

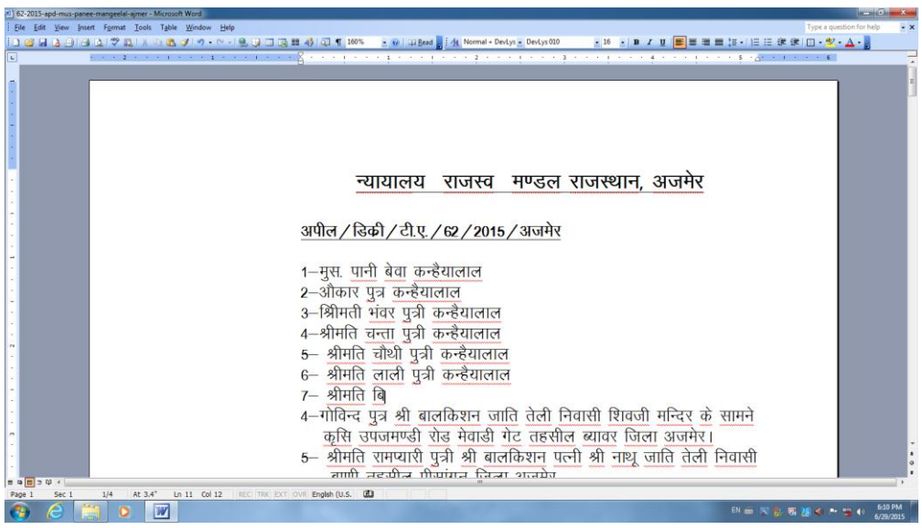

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टी.ए./62/2015/अजमेर

1–मुस. पानी बेवा कन्हैयालाल
2–ओंकार पुत्र कन्हैयालाल
3–श्रीमती भंवर पुत्री कन्हैयालाल
4–श्रीमति चन्ता पुत्री कन्हैयालाल
5– श्रीमति चौथी पुत्री कन्हैयालाल
6– श्रीमति लाली पुत्री कन्हैयालाल
7– श्रीमति बि
4–गोविन्द पुत्र श्री बालकिशन जाति तेली निवासी शिवजी मन्दिर के सामने कृसि उपजमण्डी रोड मेवाडी गेट तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
5– श्रीमति रामप्यारी पुत्री श्री बालकिशन पत्नी श्री नाथू जाति तेली निवासी

बनाम

श्री अशोक कुमार,सदस्य

श्री बी. एस. गर्ग, सदस्य

उपस्थितः–

(1)श्री शान्तीप्रकाश ओझा अधिवक्ता अपीलांट।

(2)श्री जी.एस.लखावत, अधिवक्ता रैस्पो. की ओर से

(3)श्री के.के. पुरोहित, अधिवक्ता रैस्पो. की ओर से

(4)श्री अशोक नाथ अधिवक्ता रैस्पो. की ओर से

(5)श्री एस.के. सेठी अधिववक्ता रैस्पो. की ओर से

निर्णय

दिनांकः जुलाई, 2015

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–1–10 के विरुद्व प्रस्तुत की गयी है जिसके व्दारा उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–10–08 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 3/09 उनवानी माधु आदि बनाम गोविन्द आदि को स्वीकार कर उपखण्ड अधिकरी, ब्यावर का निर्णय एवं

डिक्री दिनांक 21–10–08 निरस्त किया जाकर वाद वादी संख्या 77/08 को स्वीकार किया गया है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण /रैस्पो. संख्या 1ता 4 ने एक दावा संख्या 33/07 अन्तर्गत धारा 53–183–188 आरटीए उनवानी गोविन्द आदि बनाम माधो आदि ने उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि साबिक खसरा नम्बर 13 से बने हाल खसरा नम्बर 35 की 2.04.10 बीघा भूमि (अपील में विवादित आराजी कहा जावेगा) वादीगण के पूर्वज मोडालाल पुत्र सूरजमल थे, जिसकी मृत्यु के बाद यह आराजी उसके पुत्र ईश्वरचन्द को प्राप्त हुयी और ईश्वरचन्द की मृत्युके बाद विवादित आराजी उसके पुत्र छोटूलाल को प्राप्त हुई और छोटूलाल की मृत्यु के बाद उसके पुत्र बल्देव को प्राप्त हुई। बल्देव के दो पुत्र ख्याली व चुन्नीलाल हुए। वादीगण चुन्नीलाल के उत्तराधिकारी है। ख्याली के एक पुत्र बालशिन हुआ। बालकिशन के प्रतिवादी संख्या 1से 7 उत्तराधिकारी हुए। राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी प्रतिवादीगण के नाम से अंकित है। प्रतिवादीगण का कभी भी विवादित आराजी पर कब्जा नही रहा । विवादित आराजी पर हमेशा से ही कजा वादीगण का चला आ रहा है। वादीगण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर सम्पूर्ण विवादित आराजी के खातेदार हो चुके है। विकल्प में निवेदन किया कि बल्देव की मृत्यु के बाद भूमि ख्याली व चुन्नीलाल को प्राप्त हुई थी, परन्तु राजस्व रिकार्ड में केवल प्रतिवादीगण का नाम ही अंकित है। विकल्प के रुप में यह अनुतोश मांगा कि वादीगण 1/2 हि. जो विरासत में चुन्नीलाल को प्राप्त होनी थी ,का खातेदार काश्तकार घोसित किया जावे। विवादित आराजी की राजस्व रिकार्ड में दुरस्ती की जाकर वीदगण के नाम का अंकन किया जावे तथा 1/2 हि. का विभाजन कर कब्जा दिलवाया जावे। प्रतिवादीगण /रैस्पो. अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण ने दिनांक 21–7–07 को एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण/रैस्पे0 संख्या 1–4व्दारा प्रस्तुत दावे में दावे के आधार दस्तावेज प्रस्तुत नही किये हैं तथा विवादित आराजी प्रतिवादीगण के पिता बालकिशन व्दारा जरिये रजि. विक्रय पत्र क्रय की गयी है,जिसमें वादीगण का कोई हक व अधिकार नही है। दावे के आधार दस्तावेज पेश नही होने के कारण दावा संधारण योग्य नही है, इसलिए दावा खारिज किया जावे। प्रार्थना पात्र का वादीगण/रैस्पोडेंटस ने जबाव पेश किया । परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14–8–07 व्दारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद वादी खारिज कर दिया। परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 14–8–07 के विरुद्ध वादीगण/ रैस्पो0 1ता4 ने प्रथम अपील संख्या 199/07 उनवानी गोविन्द आदि बनाम माधू आदि प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की।

अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16–1–08 व्दारा अपील स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय व्दारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14–8–07 खारिज कर दिया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेसित कर दिया कि वाद में तनकी कायम कर दोनो पुक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावे। रिमाण्ड प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्राप्त होने पर दावा संख्या 17/08 उनवानी गोविन्द आदि बनाम माधू आदि दर्ज रजिस्टर कर कार्यवाही प्रारंभ की व अपने निर्णय व डिक्री दिनांक दिनांक 21–10–08 व्दारा दावा खारिज कर दिया। परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 21–10–08 के विरुद्ध प्रथम अपील संख्या 3/09 उनवानी गोविन्द आदि बनाम माधु आदि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की। राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 24–5–10 व्दारा अपील स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21–10–08 खारिज कर दिया तथा वादी वादी स्वीकार कर वादीगण/ रैस्पो. को 1/2 हि. का खातेदार काश्तकार घोसित कर दिया। तथा परीक्षण न्यायालय को विभाजन कार्यवाही करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेसित कर दिया। राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–5–10 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– उभयपक्षीय अधिवक्तागण की अपील गुणावगुण पर बहस सुनी गयी।

9– अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में हम प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 16–4–2009 में कोई त्रुटि नहीं पाते, लिहाजा, अपील खारिज की जाती है और प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16–4–2009 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बी. एस. गर्ग)
सदस्य

(अशोक कुमार सांवरिया)
सदस्य